

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बंनाराम बनाम बंनाराम वगैरे

इजाजत

मुकदमा नं. 22 सन् 2018

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
2-617	<p>वकील डिफ्रीदार ने उपरिभूत होकर इजाजत पेश की। इजाजत दर्ज रजिस्ट्रर की जाये। न्यायालय द्वारा जारी डिफ्री व निर्णय की पालन हेतु लक्ष्मी चौरा श्रीमाधोपुर के लक्ष्मी चौरा जारी होकर पञ्जावली दिनांक 11-9-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm</p>	
31-5-18	<p>पञ्जावली आम न्याय आदेश के द्वारा अतिमान-2018 के लक्ष्मी चौरा सम्बन्धी लोका अदावत फौजदारी में पेश हुई। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिफ्री की पालन परिले न्यायानुसार सम्बन्ध 2124 दिनांक 27-7-17 के द्वारा सम्बन्ध रिपोर्ट में अमल इजाजत हेतु प्रस्तावित रूप में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं होने से पञ्जावली फौजदारी इजाजत बाद तत्काल कार्रवाई करार हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm</p> <p style="text-align: center;">(ब्रह्म लाल पाट)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) फौजदारी - लोका अदावत</p>	<p>श्रीमाधोपुर आम न्याय आदेश नं. 2124 दिनांक 27-7-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्म लाल पाट) 31-5-18</p>